चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 16.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **फाल्गुन मास अमावस्या मेला** में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में दिनांक 16.02.2026 प्रातः 06.30 बजे से दिनाँक 18.02.2026 रात्रि 12.00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक 18.02.2026 के पश्चात आम जनमानस को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराये जाने एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कर्वी नगर में दिनांक 19.02.2026 से 30 दिवस तक या नवीन आदेश दिये जाने की तिथि, जो पूर्व हो, निम्नांकित विवरण के अनुसार भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

क्र0सं0	स्थान	प्रतिबंधित समय
1.	लोढ़वारा मोड, राजापुर मार्ग	प्रातः 06.30 बजे से 21.00 बजे तक
2.	रेहुटिया (रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व) प्रयागराज रोड	प्रातः 06.30 बजे से 22.00 बजे तक
3.	खोह (पुलिस लाईन तिराहा) मानिकपुर रोड	प्रातः 06.30 बजे से 22.00 बजे तक
4.	शेषनपुरवा मोड़ सोनेपुर, सतना रोड	प्रातः 06.30 बजे से 22.30 बजे तक
5.	बेड़ी पुलिया (मत्यगजेन्द्रनाथ धर्मकांटा) बांदा रोड	प्रातः 06.30 बजे से 23.00 बजे तक

1. प्रातः 06.30 बजे नो इन्ट्री बैरियरों से प्रवेश किये हुए भारी माल वाहन प्रातः07.00 बजे तक प्रत्येक दशा में नो इन्ट्री क्षेत्र से बाहर निकल जायेगें।
2. नगर में वैवाहिक / धार्मिक / त्यौहार / जुलूस / झांकी / शोभा यात्रा / राजनैतिक कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन की सूचना नो इन्ट्री बैरियर पर ही दी जायेगी

यातायात रूट डायवर्जन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी पौष मास अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 सपठित उ0प्र0 मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 178 में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.12.2025 प्रातः 06.00 बजे से दिनाँक 20.12.2025 रात्रि 12.00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक 20.12.2025 के पश्चात आम जनमानस को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराये जाने एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कर्वी नगर में दिनांक 21.12.2025 से 30 दिवस तक या नवीन आदेश दिये जाने की तिथि, जो पूर्व हो, निम्नांकित विवरण के अनुसार भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

क्र0सं0	स्थान	प्रतिबंधित समय
1.	लोढ़वारा मोड़, राजापुर मार्ग	प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 09.30 बजे तक
2.	रेहुटिया (रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व) प्रयागराज रोड	प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
3.	खोह (पुलिस लाईन तिराहा) मानिकपुर रोड	प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
4.	शेषनपुरवा मोड़ सोनेपुर, सतना रोड	प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक
5.	बेड़ी पुलिया (मत्यगजेन्द्रनाथ धर्मकांटा) बांदा रोड	प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक
6.	निर्मोही अखाड़ा यूपी एमपी बार्डर से बेड़ी पुलिया तिराहा तक	प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक

1. प्रातः 06.30 बजे नो इन्ट्री बैरियरों से प्रवेश किये हुए भारी माल वाहन प्रातः 07.00 बजे तक प्रत्येक दशा में नो इन्ट्री क्षेत्र से बाहर निकल जायेगें।
2. नगर में वैवाहिक / धार्मिक / त्यौहार / जुलूस / झांकी / शोभा यात्रा / राजनैतिक कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन की सूचना नो इन्ट्री बैरियर पर ही दी जायेगी।

(3). आज दिनांक 16.02.2026 को फाल्गुन मास अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मंदाकिनी भवन सीतापुर में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में मेला में तैनात पुलिस बल के साथ ब्रीफिंग की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस फोर्स अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात रहकर मेला को सकुशल संपन्न कराए

सभी पुलिस अधिकारी हैंडसेट लाउड हेलर अवश्य प्राप्त कर लें सभी पुलिस जोनल प्रभारी अपने क्षेत्र का भ्रमण करके जिन प्वांइट पर ड्यूटी लगी है वह समय से ड्यूटी करें अगर कोई ड्यूटी के प्रति शिथिलता बरते तो उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित करें। पुरे पुलिस फोर्स को 03 जोन व 10 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 04 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 13 थाना प्रभारी निरीक्षक/निरीक्षक, 80 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 215 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल,48 महिला कांस्टेबल, 03 उपनिरीक्षक यातायात, 22 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात, 02 उ0नि0 एलआईयू ,06 हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल एलआईयू,01 डॉग स्क्वायड,पीएससी की एक प्लाटून फोर्स,एक प्लाटून फ्लड कम्पनी,की डियूटी लगाई गई है।

ब्रीफिंग के दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल,प्रभारी निरीक्षक भरतकूप उपेन्द्र प्रताप सिंह,प्रभारी मीडिया सेल श्री विनोद कुमार राय,प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय,प्रभारी रिट सेल श्री गणेश सिंह,चौकी प्रभारी सीतापुर एवं मेला में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). आज दिनांक 16.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में फाल्गुन मास अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मंदाकिनी भवन सीतापुर में मेला में तैनात पुलिस बल के साथ ब्रीफिंग की गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस फोर्स अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात रहकर मेला को सकुशल संपन्न कराए सभी पुलिस अधिकारी हैंडसेट लाउड हेलर अवश्य प्राप्त कर लें । सभी पुलिस जोनल प्रभारी अपने क्षेत्र का भ्रमण करके जिन प्वांइट पर ड्यूटी लगी है,ध्यान से देख लिजिए वह समय से ड्यूटी करें अगर कोई ड्यूटी के प्रति शिथिलता बरते तो उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित करें। पुरे पुलिस फोर्स को 03 जोन व 10 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 04 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 13 थाना प्रभारी निरीक्षक/निरीक्षक, 80 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 215 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल,48 महिला कांस्टेबल, 03 उपनिरीक्षक यातायात, 22 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात, 02 उ0नि0 एलआईयू ,06 हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल एलआईयू,01 डॉग स्क्वायड,पीएससी की एक प्लाटून फोर्स,एक प्लाटून फ्लड कम्पनी,की डियूटी लगाई गई है।

ब्रीफिंग के दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल,पुलिस उपाधीक्षक फायर यदुनाथ सिंह,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल,प्रभारी निरीक्षक भरतकूप उपेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी रिट सेल श्री गणेश सिंह, प्रभारी मीडिया सेल श्री विनोद कुमार राय,प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय,चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह एवं मेला में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). आज दिनाँक 16.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की मौजूदगी में फाल्गुन मास अमावस्या मेला व होली त्यौहार की दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को पैदल गश्त के दौरान पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता करने एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने की जानकारी दी गयी।

पैदल गश्त के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,क्षेत्राधिकारी यातायात श्री यामीन अहमद,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल,प्रभारी आरटीसी श्री शिवमूरत यादव एवं समस्त पुलिस बल उपस्थित रहा।

(6). आज दिनाँक-16.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय के मार्गदर्शन में डॉग स्क्वॉयड,एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा फाल्गुन मास अमावस्या मेला की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रामघाट सीतापुर में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(7). आज दिनाँक 16.02.2026 को क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली द्वारा प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह की उपस्थिति में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना मऊ के बस स्टैण्ड, मिश्रित आबादी एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया । पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों,व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा शराब की दुकान एव 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(8). आज दिनांक 16.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिह की उपस्थिति में अपने आवास परिसर में नवनिर्मित मैस का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर पर सर्वप्रथम पूजा-अर्चना कर मैस के शुभारंभ की घोषणा की गई।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैस की स्थापना का उद्देश्य पुलिस परिवार को स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बेहतर भोजन व्यवस्था से पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य सुदृढ़ रहेगा, जिससे वे अपने दायित्वों का निर्वहन और अधिक तत्परता एवं ऊर्जा के साथ कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा मैस की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए।
इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द वर्मा,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल ,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली ,क्षेत्राधिकारी फायर श्री यदुनाथ सिंह,प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव,पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप पाल,श्री पंकज तिवारी , मेस इंचार्च मुख्य आरक्षी श्री श्याम बहादुर एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहें।